

न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/126/2020, रजि0 न0 2020/00257

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री सन्तोष मीना, निवासी 9/743 लोधी
कॉलोनी नई दिल्ली-110003

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य
कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर,
जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 05.01.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2020 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हें दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.12.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अलवर ने जरिये पत्र क्रमांक क्रमांक 73 दिनांक 05.01.2021 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पूर्व में जरिये पत्र क्रमांक 4675 दिनांक 25.11.2020 के द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया जिसके आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. लोक सूचना अधिकारी के प्राप्त जवाब के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।



(नन्मूल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर